ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **17 Feb, 2025**

Shri Ajay Maken, MP & Treasurer, AICC; Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law, Human Rights and RTI department, AICC and Shri Gurdeep Singh Sappal, In-charge, Administration, AICC addressed the media at AICC Hdqrs, today.

श्री अजय माकन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब लोगों का स्वागत है। आज सीईसी को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट किया है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपॉन किया जाना चाहिए। इसके लिए हम तीनों के तीनों लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी कांग्रेस पार्टी ने ईगल (EAGLE- Empowered Action Group of Leaders and Experts) ग्रुप एक बनाया है चुनाव आयोग के सारे विषयों को देखने के लिए as a watchdog. तो मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक मनु सिंघवी जी से कि वो विस्तार से इसके विषय में यहाँ पर आप सब लोगों को बताएं और चर्चा करें।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- धन्यवाद माकन जी, सप्पल जी। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तथ्यों के साथ समझाना चाहता हूं। स्टैंड का मूल तत्व ये है कि संस्थाओं के समन्वय, जिसको हम कॉमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन कहते हैं और संविधान की आत्मा और अक्षर दोनों का अगर सही अनुपालन करना है तो ये आवश्यक है कि एक ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष, संतुलित निर्णय लिया जाए, जो जनहित का हो, जो गणतंत्र के हित का हो और जो एक समतल जमीन, लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमारे गणतंत्र का आधार है और संविधान की नींव है, उसको सबसे उत्तीर्ण स्थान पर ले जाए। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है और इसके जो बाकी तथ्य हैं, वो ये हैं-

आपको मालूम है अच्छे से कि कई स्टेकहोल्डर्स का... कई लोग जो इसमें पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, उनका ये पक्ष रहा है, ये स्टैंड रहा है, ये मत रहा है, लगभग दो-तीन

साल से, दो-ढाई साल से, जबसे एक नया एक्ट आया। दो साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं, Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act of 2023.

उसमें जो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गईं उच्चतम न्यायालय के समक्ष और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च, 2023 को यानी आज से लगभग दो वर्ष पहले एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च, 2023 का।

मैं आपको तकनीकी और कानूनी चीजों से बोर नहीं करना चाहता। मैं आपको उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं अंग्रेजी में। पैरा 9 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है- "The Executive alone being involved in the appointment, ensures that the Commission becomes and remains a partisan Body and a branch of the Executive". एक-एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। "The independence of the Commission is intimately interlinked with the process of appointment".

उसके बाद पैरा 165 में... बड़ा विस्तृत निर्णय है, मैं सिर्फ कुछ ही अंश बता रहा हूं आपको। कहते हैं- "The Election Commissioners including the Chief Election Commissioner blessed with nearly infinite powers and who are to abide by the fundamental rights must be chosen not by the Executive exclusively."... सिर्फ कार्यपालिका द्वारा, बड़ा स्पष्ट है "and particularly without any objective yardstick".

फिर 119 में कहा है- "In order to allow independence in the functioning of the Election Commission as a Constitutional body, the office of Chief Election Commissioners as well as the Election Commissioners have to be insulated…". शब्द है "insulated from the executive interference."

और कई पैरा हैं। एक पैरा और है- 8, जहाँ कहा है कि like the judiciary, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को न्यायपालिका का स्तर दिया गया है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है वो, कानूनी नहीं है सिर्फ, "Like the Judiciary, the Election Commission

must display fearless independence. In the absence of norms regarding the appointment, a central norm, viz., institutional integrity is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias."

अब ये निर्णय आया था जैसे मैंने आपको बोला 2 मार्च को, 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं इन उद्देश्यों से, जो उद्देश्य मैंने पढ़े, ये चार उद्देश्य- स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि-इत्यादि और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका का ये अधिकार क्षेत्र है कि वो कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में कुछ ही महीनों में उसके बाद मोदी सरकार ये कानून लाई, जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया, जो उस निर्णय में लिखा था, पूर्णतया: कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है।

खैर, कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है, इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं।

खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई। वापस चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव की एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले दो सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप-प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके समक्ष रखा है, सभी स्टेकहोल्डर्स ने, सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी के। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, तीन महीने में, चार महीने में... क्या-क्या हुआ। इन सबको ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में ये आवश्यक था कि हम उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझें।

इसको जो चुनौती दी गई है, तो लगभग तीन या चार ऑर्डर पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसकी मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता हूं। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम

न्यायालय... जिसका मुझे अनुभव है, ऑर्डर नहीं देता है। तीन ऑर्डर एक- डेढ़ महीने में और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, direction that the matter not be deleted from the list on 19 to 25, 19 कितने दिन बाद है भाईयों और बहनों। अब मान लेता हूं मैं, जो 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा, शुरू नहीं होगा तो उसके चार दिन बाद लगेगा। मान लीजिए दो हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए एक महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं है कि एक महीने बाद लगेगा, इसमें लिखा है कि matter to be heard, इसमें लिखा है- not to be deleted. लेकिन ये मान भी लीजिए को दो, तीन, चार हफ्ते बाद लगेगा, गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है - वो है समझना एक संदर्भ को और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है।

तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, कल भी था, आज भी है और आगे रहेगा, ये स्टैंड जो आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं कि दो चीजें बड़ी सरल करनी हैं। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है। आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है जो इस मीटिंग को जो आज शाम को लगभग साढ़े पांच बजे हुई, उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं, आप स्थगित कर रहे हैं दो हफ्ते, तीन हफ्ते के लिए, जो बड़ी बात नहीं है और दूसरा, हर स्टेकहोल्डर... कांग्रेस भी आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी दो लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 को जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, चाहे 25 को खत्म कर लीजिए। ये आम होता है उच्चतम न्यायालय में। Early hearing application and disposal application करिए, हम आपका समर्थन करते हैं।

अब आप सोचिए एक बात, मैं एक बड़ी सरल बात कॉमन सेंस की कर रहा हूं, कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर लिया सीईसी में... मिस्टर एक्स, वाई, जेड... 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो नया कानून है, वो निरस्त करते हैं हम। कह सकती है, आज कम से कम संभावना तो है, ये तो नहीं है कि नहीं कर सकता है उच्चतम न्यायालय, एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। चार हफ्ते बाद उच्चतम न्यायालय कहता है कि हम ये कानून जो नाम मैंने पढ़ा आपको, वो हम निरस्त करते हैं- Chief Election Commissioner etc-etc 2023 Act.

तो आपने क्या किया है - आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किसलिए... 48 घंटे, एक हफ्ते या दो हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं है तो क्या है?

इतनी सरल बात है हमारी, इतना सरल प्रस्ताव था। जहाँ तक हमें मालूम पड़ा है... दुर्भाग्य है, इस सरल प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है, लेकिन आपको बाकी चीजें जो गोपनीय होती हैं, आपको मालूम पड़ जाएंगी क्या होती हैं। मैं समझता हूं कि by removing or trying to keep the Justice out of the appointment process as an independent entity, the government has made it clear, they want only control, but not credibility, and the most important thing for the EC is credibility.

ये बड़ा स्पष्ट है कि जब इतने सारे मुद्दे शंका के घेरे में हैं, जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल उठता है, जो आपने पिछले दो वर्ष में ज्यादा देखे हैं, लिखित रिप्रेंजेटेशन देखे हैं। तो मोदी जी ने जो नए कानून से धकेला है, उसको एक गणतंत्र और लोकतंत्र को अंधेरे में डाला है और जो हमारी मांग है, वो इतनी सरल है, इतनी छोटी है कि थोड़ी भी अगर इगो कम होती और मनमानी करने की मंशा कम होती, तो ये नहीं होता। ये हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, हमने आपके सामने इसलिए रखा है ये।

On a question that did Rahul Gandhi participate in the meeting, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- The Leader of the Opposition Shri Rahul Gandhi certainly participated at 5:30 pm. What he said, what happened, what was discussed etc, is not for me or you to speculate upon. He participated hundred per cent and what happened etc, you will know within 24 or 48 hours. There is no point speculating about it.

इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री अजय माकन ने कहा कि देखिए, इसके बारे में हम लोग इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी का जो औपचारिक, अधिकारिक जो व्यू है, वह हमने आपको बताया और इससे ज्यादा मीटिंग में क्या हुआ... क्योंकि गोपनीयता का हम सब लोग आदर करते हैं, इसलिए अब इससे ज्यादा हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं।

एक अन्य प्रश्न पर कि क्या यही मत श्री राहुल गांधी ने भी बैठक में रखा होगा उनके सामने? श्री अजय माकन ने कहा कि देखिए, जो हमने कहा पार्टी का मत है, वो हमारे पार्टी के नेता हैं।

On another question that as Chief Justice of India himself said in his court that this will be subject to our final outcome whatever we decided, you could have written much earlier requesting the Prime Minister, not to hold this meeting, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- First of all, nobody is suggesting to do 'X' or 'Y', nobody is suggesting that the Supreme Court will hold 'X' or 'Y', nobody is attempting to be presumptuous about court decisions. It's a very simple point the court is actively seized… not merely subjudice a manner… actively seized within days and weeks of when we are talking of an issue of constitutional importance.

Mr. CEC retires only now, the meeting is notified only now, the decision of the government becomes ripe this way or that way only now. You are asking us- why we didn't try earlier? You should ask government- why they can't adjourn it by two weeks, ten days, one week? That's a real question.

एक अन्य प्रश्न पर कि राहुल गांधी ने लोक सभा में खुलकर समिति पर सवाल खड़े किए, श्री अजय माकन ने कहा कि बिल्कुल, यही बात तो अभी अभिषेक जी ने बड़े विस्तार से बताई है और सबसे बड़ी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है, एक्टिव संज्ञान ले रहा है, 19 तारीख को... 48 घंटे के अंदर-अंदर उसने इसके ऊपर संज्ञान लेकर कुछ फैसला सुनाना है। तो क्या यह सरकार 48 घंटे भी वेट नहीं कर सकती थी?

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC